

प्रश्न सं. [क. 30]

मध्यप्रदेश शासन
अध्यात्म विभाग मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक एफ 6-54/2021/68
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/7/2021

सचिव
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,
भोपाल।

विषय:- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 30 द्वारा डॉ सीतासरन शर्मा, माननीय
विधायक दिनांक 02.08.2021-10.08.2021

--0--

उपरोक्त विषयक विधानसभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न क्रमांक 30 माननीय विधायक डॉ सीतासरन शर्मा दिनांक 02/08/2021-10/08/2021 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

तारांकित प्रश्न क्रमांक 30 के भाग (ग) में लेख किया गया है कि "क्या प्रश्नकर्ता को श्री हरेन्द्र नारायण के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 166,166ए,167,171 एवं 219 में प्रकरण चलाने की अनुमति दी जायेगी। यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?" का उल्लेख किया गया है। जो न्यायालयीन कार्यवाही से संबंधित है।

अतः मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा प्रश्न की ग्राह्यता हेतु आवश्यक नियमावली के नियम 36(6) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न क्रमांक 30 को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(पुष्पा कुलेश)

उप सचिव

म.प्र.शासन, अध्यात्म विभाग